न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां

प्रकरण संख्या – 457/2018

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

1 कमला पत्नि जगदीश दमामी उम्र वयस्क निवासी रलायता तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

————(प्रार्थी)

बनाम

1 घीसा पिता रामचन्द्र कुमावत उम्र वयस्क निवासी हंसपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2 मीरा पत्नि चेतन बलाई उम्र वयस्क निवासी रलायता तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
3 मदन पिता फतेहलाल महाजन उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
4 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाडा

————(अप्रार्थीगण)

उपस्थित– श्री विजय पाराशर––– अधिवक्ता प्रार्थीया
अनुपस्थित– श्री अनिल शर्मा––––– अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय दिनांक – 17.11.2021

प्रार्थीया की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 19.06.2018 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम रलायता पटवार मण्डल रलायता भू.अ. नि. धनोप तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 15 के **आ.न. 1055 रकबा 0.26 हैक्टयर भूमि** स्थित हैं। विपक्षीगण उक्त वर्णित आराजीयात के पड़ौसी/सहखातेदार हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 19.06.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। अप्रार्थी संख्या 01 ने जरिये अधिवक्ता श्री अनिल शर्मा जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे रेकार्ड पर लिया गया। अप्रार्थी 01 की ओर से खण्डन में प्रस्तुत किये गये जवाब में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी संख्या 1055 पर विगत कई वर्षो से विपक्षी उत्तरदाता के कब्जे काश्त में है। उक्त आराजी पैमाईश पूर्व साबिक नम्बर 639/1 रकबा 3.00 बीघा भूमि जवाबदाता के पक्ष में आवंटन की गई थी, जिसे भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भूलवश प्रार्थी के पक्ष में दर्ज राजस्व अभिलेख कर दिया गया था। उस अनुसार जवाबदाता आराजी पर काबिज चला आ रहा है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी सव्यय खारीज फरमाया जावें। शेष अप्रार्थी संख्या 02, 03 सूचित होने के उपरान्त भी अपना पक्ष रखने, हाजिर नही आये। इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम हुकमपुरा दिनांक 17.11.2021 के लिए पंजीवद्ध किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उप खण्ड अधिकारी
फुलिया कलां (भील.)

प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खण्डन में प्रस्तुत जवाब अनुरूप यदि वक्त पैमाईश अभिलेखो में संभवतया कोई दोषयुक्त इन्द्राज हुआ हो, तो उस दशा में अप्रार्थी को वांछित दाद प्राप्ति के लिए दुरूस्ति घोषणात्मक वाद पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मौजूदा प्रार्थनापत्र पत्थरगढी आराजीयात बावत प्रस्तुत हुआ है। इस प्रार्थनापत्र से अप्रार्थी को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना संभव नही है। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम रलायता पटवार मण्डल रलायता भू.अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 15 के **आ.न. 1055 रकबा 0.26 हैक्टयर** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक धनोप को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 17.11.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम हुकमपुरा के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपि–

1 तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा (राज.)